

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1246]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 19, 2016/वैशाख 29, 1938

No. 1246]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 19, 2016/ VAISAKHA 29, 1938

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मई, 2016

का.आ. 1826(अ).— यतः केन्द्र सरकार ने वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग की 25 अप्रैल, 2016 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1499(अ) के द्वारा स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंतर्गत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों को गारंटी प्रदान करने के प्रयोजन हेतु स्टैंड अप इंडिया ऋण गारंटी स्कीम तैयार की थी और उक्त सरकार को इस योजना को लागू करने के संबंध में अधिसूचना जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है;

2. अतः अब उक्त योजना को लागू करने से संबंधित उपबंधों के अनुसार केन्द्र सरकार वर्ष 2016 के 05 अप्रैल को वह तिथि नियत करती है जिस दिन से यह योजना लागू होगी।

[फा. सं. 28/05/2016-सीपी/आईएफ- II]

पंकज जैन, संयुक्त सचिव (आईएफ- II)

व्याख्यात्मक ज्ञापन: इस योजना को भूतलक्षी प्रभाव से लागू करने के कारण कोई व्यक्ति प्रतिकूलतः प्रभावित नहीं होगा।

टिप्पणी: स्टैंड अप इंडिया ऋण गारंटी स्कीम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड 3(ii) में 25 अप्रैल, 2016 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1499(अ) के द्वारा प्रकाशित की गयी थी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th May, 2016

S.O. 1826(E).— Whereas, by a notification of the Ministry of Finance, Department of Financial Services *vide* number S.O.1499(E) dated 25th April, 2016, the Central Government made the Credit Guarantee Scheme for Stand Up India (the Scheme) for the purpose of providing guarantees to loans extended by Scheduled Commercial Banks under the Stand Up India Scheme and the said Government has been empowered to issue notification in respect of enforcement of this Scheme;

2. Now, therefore, in terms of the provisions relating to commencement of the said Scheme, the Central Government appoints the 5th day of April, 2016 as the date on which the said Scheme shall come into force.

[F.No.28/05/2016-CP/IF-II]
PANKAJ JAIN, Jt. Secy. (IF-II)

Explanatory Memorandum: Giving retrospective effect to the commencement of the Scheme will not adversely affect any person.

Note: The Credit Guarantee Scheme for Stand Up India was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3 (ii) *vide* notification number S.O. 1499 (E), dated the 25th April, 2016.